प्रेस नोट दिनाँक-01.10.2021

(1). आज दिनाँक 01.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा थाना भरतकूप का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा थाना परिसर की साफ-सफाई देखी गयी एवं थाना कार्यालय के आईजीआरएस रजिस्टर, जनसुनवाई रजिस्टर, हिस्ट्रीसीट का अवलोकन कर दस्तावेजों को अद्यवधिक रखने हेतु प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। बाद थाना निरीक्षण महोदय द्वारा नये निर्माणाधीन थाने का निरीक्षण किया गया जहां निर्माण कार्य करवा रहे ठेकेदार को निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने हेचु कहा गया।

(2). आज दिनाँक 01.10.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इस दौरान ग्रामींण क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों को बताया गया कि आप अपनी शिकायत जनसुनवाई आपके द्वार के तहत मो0नं0 8810747614 पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी कर सकते है, आप लोगों को दूर दराज से यहां तक नहीं आना पडेगा, आपकी शिकायत वीडियो कॉलिंग पर ही सुन ली जायेगी तथा निस्तारण कराया जायेगा, जिससे आप लोगों को समय की तथा आर्थिक बचत होगी।

इस दौरान महोदय द्वारा जनसुनवाई आपके द्वार के तहत वीडियो कॉलिंग से प्राप्त शिकायतों को भी सुना गया एवं उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राकेश कुमार मौर्य तथा उनकी टीम द्वारा मु0स0 3157/17 धारा 380/457/411 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 1. वीरेन्द्र पुत्र मोती लाल 2. जंगलिया पुत्र चुनवाद निवासीगण भड़थोल थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1 श्री राकेश कुमार मौर्य थाना भरतकूप
2 आरक्षी जमुना प्रसाद
3 आरक्षी अमित वर्मा

(ii). प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0सं0 1975/16 धारा 143/47/341 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त रामचंद्र उर्फ संजय अग्रवाल पुत्र बबली अग्रवाल निवासी पुरानी बाजार कर्वी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी पीयूषशरण

(4) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा वहद ग्राम मटियारा से अभियुक्ता (1) सुखदइया पत्नी हरिश्चन्द्र निवासी कोटनिहा का पुरवा चकौर थाना मऊ (2) छग्गू पत्वी रामनारायण निवासी मटियारा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 05-05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगीः-

10 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित

बरामदगी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री विपिन कुमार मिश्रा थाना मऊ
2. आरक्षी राजेश कुमार यादव
3. आरक्षी धर्मेन्द्र कुशवाहा
4. महिला आरक्षी स्नेहा राजपूत

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध खनन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर श्री सुभाशचन्द्र चौरसिया के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री फिरोज खां तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त कुलदीप कुमार पुत्र श्रीपाल निवासी रामपुर कल्याणगढ थाना मानिकपुर चित्रकूट को पावरट्रक ट्रैक्टर 439 मय ट्राली में अवैध ढोका पत्थर ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 111/2021 धारा 379/411 भादवि0 व 4/21 खनिज अधिनियम व 3 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया। ट्रैक्टर को धारा 207 एम0वी0 एक्ट के तहत सीज किया गया।

<u>बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री फिरोज खां थाना मानिकपुर
2. 2. आरक्षी पंकज कुमार

(6). सार्वजनिक सूचना

क्रिमि0 मिस0 रिट पिटीशन संख्या-6348 /2021 जगराम बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2021 के प्रस्तर-12 मे दिये गये बिन्दुओ जिसमे भारत के संविधान के अनुच्देद 21 का उल्लघंन करते हुए,यदि किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत मे लिए जाने की जा ॅच मे अनुशासनिक अधिकारी द्वारा दोषी पाये जाने पर उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्व उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियो के दण्ड एवं नियमावली 1991 मे संगत नियमो के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध मे अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा 03 माह के अन्दर जा ॅच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी तथा यदि किसी नागरिक की अवैध रूप से हिरासत प्रमाणित पायी जाती है तो पीड़ित व्यक्ति को 25000/रूपये धनराशि का भुगतान मुआवजा के रूप मे किया जायेगा। इस दिशा निर्देशों के सम्बन्ध मे अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारीगण एवं समस्त प्रभारी निरीक्षक/चौकी प्रभारियो को विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। जिनका अनुपालन कराया जा रहा है।

(7). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान "मिशन शक्ति फेज-3" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमो द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल, विद्यालय एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति फेज-3" अभियान के तहत दिनांक 01.10.2021 को श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में जनपद में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। जिसमें महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति फेज-3" के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजार, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वो से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओ को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा के बारे में जानकारीयाँ दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानो में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओ की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को

महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।

इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनो से सार्वजनिक स्थलो यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।